

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्रीमति विराजो देवी पति- स्व. चन्दन गंझू निवासी ग्राम: पोटन्गा, थाना: बड़कागाँव, जिला: हज़ारीबाग (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: पोटन्गा, थाना सं: 154 (रैयती) खाता सं. 41, के अधीन प्लॉट सं: 83, 178 और 1380 कुल रकबा - 2.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: पोटन्गा, थाना: बड़कागाँव, जिला: हज़ारीबाग (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: पोटन्गा, थाना सं: 154 (रैयती) खाता सं. 41, के अधीन प्लॉट सं: 83, 178 और 1380 कुल रकबा - 2.00 एकड़ भूमि के तहत श्रीमति विराजो देवी पति- स्व. चन्दन गंझू निवासी ग्राम: पोटन्गा, थाना: बड़कागाँव, जिला: हज़ारीबाग (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है।

राजिा

hr